71

संख्या– 482 /VI/2015–71(8)2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व,तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादूनः दिनांक 03 अक्टूबर मई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में संस्कृति विभाग के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –1798/सं0नि0उ0/दो–3/2015–16 दिनांक 03.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष ₹ 64763 हजार (₹छः करोड़ सैंतालीस लाख तिरेसठ हजार मात्र), अनुदान संख्या –30 के अन्तर्गत ₹ 2250 हजार(₹बाईस लाख पचास हजार मात्र), तथा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत ₹ 1500 हजार (₹ पन्द्रह लाख मात्र), अर्थात कुल धनराशि ₹68513 हजार (रू0 छः करोड़ पिचासी लाख तेरह हजार) मात्र की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति निम्नाकिंत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

–2–

3– उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

4– व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– मानक मद 20 एवं 42 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में गत वर्ष की प्रगति व उपयोगिता प्रमाण –पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 व 31 के लेखाशीर्षक–2205– के संगत मानक मदों के संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश पत्र संख्या–400/XX VII(1)/2015–16 दिनांक 01अप्रैल 2015 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 482/VI/2014–71(8)2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उपसचिव।